Case No.01/2018

Witness No.(06) For -....................अभियोजन साक्ष्य......................Deposition taken the 09-03-2018 day of ....शुक्रवार................. Witness's apparent age -42 State on affirmation.......शपथपूर्वक.......My name is –........लेखनराम वर्मा.................... Son of -...........श्री कुदूराम..............Occupation –...................कृषि...................................... addres.................ग्राम ढाबा, थाना गण्डई, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)..

1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी राकेश वर्मा को नहीं जानता पहचानता हूं। घटना आज से लगभग दो माह पूर्व की है। घटना दिनांक को हमारे गांव के स्कूल का चपरासी पूरन वर्मा बताया था कि उनके स्कूल में कोई व्यक्ति ताला तोड़कर स्कूल के अंदर रखे माईक को चोरी करके ले गया है। मुझे घटना के बारे में इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। मेरे सामने प्रार्थी किशोरीलाल साहू से किसी चीज की जप्ती नहीं की गयी है, किंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.4 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त हस्ताक्षर मैने थाना गण्डई में किया था। मैं थाना गण्डई गया था क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि स्कूल में जिस व्यक्ति ने चोरी किया है, उसे पकड़ लिया गया है, उसी बात को लेकर मैं थाना गया था, तब पुलिस ने मुझसे हस्ताक्षर लिए थे। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

न्यायालय द्वारा प्रश्नः–

2/ ऐसा नहीं है कि, पुलिस ने मेरे समक्ष प्रार्थी किशोरीलाल से शास.हाईस्कूल ढाबा के स्टाक रजिस्टर को जप्त किया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सतीश सिंधानिया अधिवक्ता वास्ते आरोपीः–

3/ कुछ नहीं।

टीपः– पुनः परीक्षा– कुछ नहीं।
पुनः प्रतिपरीक्षा कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया। –सही– (कु. सुमन ध्रुव) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी छुईखदान, जिला राजनांदगांव.	मेरे निर्देषानुसार टंकण किया गया। –सही– (कु. सुमन ध्रुव) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी छुईखदान, जिला राजनांदगांव.